

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000532007

दांडिक प्रकरण क.-392/07

संस्थापित दिनांक-31.08.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
<b>विरुद्ध</b>
01-चतुर्भुज पुत्र दौलत राम जाति मोची उम्र 36 साल निवासी अचलगढ हाल आर्रोन थाना चंदेरी जिला अशोकनगर। <div>.....आरोपी</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.04.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी गीताबाई ने दिनांक 23.07.07 को एसपी महोदय गुना को इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया कि उसका विवाह चतुर्भुज पुत्र दौलतसिंह के साथ दिनांक 15.06.02 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी होकर संपन्न हुआ था। शादी के बाद से वह चतुर्भुज के साथ 8 दिन तक पत्नी के रूप में रही और उसे उसके जीजाजी लिवाकर ले आए थे और फिर आठ दिन तक मायके में रहने के बाद चतुर्भुज का भाई उसे लिवाकर ले गए थे। फिर वह एक माह तक उसके पति चतुर्भुज के साथ पत्नी के रूप में रही। इस बार वह चतुर्भुज के यहां तीन बार गई और उसी दौरान वह गर्भवती हो गई और 2003 में उसके यहां एक पुत्री हुई जिसका नाम खुशबू है। जब वह गर्भवती थी उस समय वह अपने पिता के यहां रह रही थी उस समय चार-पांच माह तक उसका पति चतुर्भुज उसके पिता के घर पर गुना में रहा उस समय उसकी माताजी बीमार हो जाने के कारण उन्हें गुना अस्पताल में भर्ती कराया गया। माताजी के भर्ती हो जाने के कारण उसका पति चतुर्भुज अधिकतर घर पर रहता था और उसने चुपचाप उसके पिता के 40,000 रुपये निकाल लिये और उसका पति फिर चुपचाप अपने गांव वापस चला गया। जब उसने व उसके पिता ने उसके पति से कहा तो वह लड़ाई झगडा करने लगा और बदनामी की सोचकर उसके पिता ने पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं की। उसके पति का व्यवहार शादी के बाद से उसके साथ अच्छा नहीं रहा और बिना किसी बात पर शराब पीकर वह उसकी मारपीट करता था। और उससे कहता था कि तेरे पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया और पिता से दहेज के 50,000 रुपये और लेकर आने को कहता था और उसके जेवर भी मांगता था। जब उसने अपने पति से जेवर देने से मना किया तो उसके पति ने उसकी मारपीट की और उसे खाने को भी नहीं दिया। इसके बाद उसका पति वर्ष 2005 में माता पूजन के नाम पर उसे लिवाकर ले गया और उसे खाने भी नहीं दिया तथा उसकी बेटी की भी मारपीट करता था एवं उसे धूप में खडा कर देता था और इस प्रकार वह बच्ची के साथ भी अत्याचार करता था। अप्रैल 2005 में उसके पिता उसे लिवाकर ले आए तब से वह अपने पिता के यहां रह रही है। उसका पति उसे दहेज के लिए परेशान करता है। फरियादी के लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 261/07 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत

किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 13.02.02 के बाद से आज तक ग्राम अर्रोन में फरियादी श्रीमती गीताबाई के साथ मारपीट कर तथा दहेज के रूप में 50,000 रुपये की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता का व्यवहार किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 गीता राजपूत, अ.सा. 02 लीलाबाई, अ.सा. 03 हजारीलाल वर्मा, अ.सा. 04 रामदास, अ.सा. 05 शिव मंगल सिंह सेंगर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 गीता राजपूत ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी चतुर्भुज से उसका विवाह हुआ था तथा विवाह के बाद विवाद हो जाने के कारण वह दोबारा ससुराल नहीं गई। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पति उसे अच्छे से नहीं रखते थे एवं झगडा करते थे और शराब पीकर मारपीट करते थे। अ.सा. 01 के अनुसार उसके पति उससे दहेज के रूप में पचास हजार रुपये की मांग करते थे और मना करने पर उसके साथ मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह आरोपी से तंग आ गई थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके घर से तीस-चालीस हजार रुपये की चोरी की थी, क्योंकि

उसने पैसे देने से मना कर दिया था। उक्त साक्षी ने पुलिस को प्रपी 01 का आवेदन लेखबद्ध कराना बताया है। अ.सा. 02 लीलाबाई ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया उसकी पुत्री है जिसका विवाह उसकी लडकी से हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी उसकी पुत्री को दहेज के लिए परेशान करता था। अ.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि उसे ध्यान नहीं है कि उसकी लडकी ने उसके ससुरालवालों द्वारा परेशान करने वाली बात बताई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 का ए से ए भाग देने से इंकार किया है।

08— अ.सा. 03 हजारीलाल वर्मा ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 28.07.07 को थाना कोतवाली गुना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक शिकायती आवेदन पत्र प्रपी 01 आरोपी के विरुद्ध प्राप्त हुआ था जिसकी नकल उसके द्वारा की गई थी जो रिपोर्ट प्रपी 04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे एसपी कार्यालय से प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु प्राप्त हुआ था। अ.सा. 04 रामदास ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 03.08.07 को वह थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उसके द्वारा उक्त दिनांक को आरोपी को प्रपी 05 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। अ.सा. 05 शिवमंगल सिंह द्वारा प्रकरण में एफआईआर की कायमी अंतर्गत धारा 498 ए भादवि करना बताया है जो प्रपी 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताए हैं।

09— प्रकरण में अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अ.सा. 03 लगायत अ.सा. 05 पुलिस के साक्षी हैं जिनके द्वारा प्रकरण में कायमी एवं विवेचना किया जाना प्रकट हो रहा है। अ.सा. 03 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि फरियादिया द्वारा प्रपी 01 का आवेदन पत्र गुना में दिया गया था तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उक्त आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी कायमी अ.सा. 03 द्वारा की गई थी। अ.सा. 05 द्वारा

थाना चंदेरी में प्रपी 06 की कायमी किया जाना प्रकट हो रहा है। अ.सा. 04 द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन लिया जाना प्रकट हो रहा है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य ही अभिलेख पर शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया।

10— अ.सा. 02 जो कि फरियादिया की मां है ने फरियादिया के कथनों का अनुसमर्थन नहीं किया है। अ.सा. 02 ने अपनी साक्ष्य में यह कहीं नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग की गई थी। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह भी नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट की गई एवं उनसे पचास हजार रुपये की मांग की गई। इस प्रकार प्रकरण में मात्र फरियादिया अ.सा. 01 की साक्ष्य ही अभिलेख पर रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया। अ.सा. 01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी उससे झगडा करता था और शराब पीकर मारपीट करता था। उक्त साक्षी ने प्रपी 01 के आवेदन पत्र को प्रमाणित किया है तथा यह कथन किया है कि उसके द्वारा प्रपी 01 का आवेदन पत्र दिया गया था। उक्त साक्षी ने सूचक प्रश्नों में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी उससे दहेज की मांग करता था तथा उसे एवं उसकी पुत्री को प्रताडित करता था। इस प्रकार अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट की गई एवं उसे प्रताडित भी किया गया। यद्यपि प्रकरण में फरियादिया के कथनों का अनुसमर्थन उसकी मां अ.सा. 02 द्वारा नहीं किया गया है, किंतु मात्र इस आधार पर कि फरियादिया के कथनों का अनुसमर्थन अ.सा. 02 ने अपने कथनों में नहीं किया है, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि फरियादिया के साथ जो अपराध कारित हुआ है वह उसके घर में कारित हुआ है और इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि उसकी मां के द्वारा उसके कथनों का अनुसमर्थन किया जाए। उल्लेखनीय है कि फरियादिया के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि

अभियोजन द्वारा झूठा प्रकरण आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 498 ए के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला—अशोकनगर

**पुनश्च:—**

13. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है जो कि महिला के विरुद्ध कारित किया जाना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश

से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि यह संदेश दे कि महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा किसी के भी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 498ए के अपराध में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)